प्रेस विज्ञप्ति

17/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 16.07.2025 को कोलार-चिक्कबल्लापुरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (कोमूल) भर्ती घोटाला, 2023 से संबंधित धन शोधन मामले में मालूर के कांग्रेस विधायक के वाई नानजेगौड़ा और अन्य की लगभग 1.32 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क करने का अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालूर के कांग्रेस विधायक के वाई नानजेगौड़ा और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मालूर तालुक में के वाई नानजेगौड़ा के अध्यक्षता □□ □□□□□□ भूमि अनुदान घोटाले के संबंध में में की गई जांच और तलाशी के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया है।ईडी ने इस सं बंध में लोकायुक्त पुलिस को भी संदर्भ दिया है और उक्त घोटाले को दर्ज करने के अपने प्रयासों में एमपी/एमएलए मामलों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज की है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि वर्ष 2023 के लिए कोमुल द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल थे, में पैसे और/या राजनीतिक व्यक्तियों की सिफ़ारिश के बदले हेराफेरी की गई थी। कोमुल के अध्यक्ष, विधायक के वाई नंजेगौड़ा के नेतृत्व वाली भर्ती समिति ने कोमुल के प्रबंध निदेशक केएन गोपाल मूर्ति के साथ मिलकर कोमुल के अन्य निदेशकों के साथ मिलकर एक साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप कुछ कम योग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाया गया और योग्य उम्मीदवारों को वंचित रखा गया।

इसके अलावा, समानांतर ओएमआर शीट (मूल और छेड़छाड़ की गई) के रूप में तलाशी कार्रवाई के दौरान मिले और जब्त किए गए साक्ष्य, राजनेताओं से प्राप्त व्हाट्सएप संदेश, कुछ उम्मीदवारों की सिफारिश करना और के वाई नंजेगौड़ा और अन्य निदेशकों द्वारा कोमुल के कर्मचारियों को अग्रेषित करना, कोमुल और मैंगलोर विश्वविद्यालय के स्तर पर पूरी भर्ती प्रक्रिया में देखी गई प्रक्रियात्मक खामियां, प्रक्रिया में अनियमितता को छिपाने के प्रयासों का संकेत, कोमुल के निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रवेश, मैंगलोर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, नागेंद्र प्रसाद और कुछ उम्मीदवार जिन्हें परीक्षा में समायोजित किया गया था, ने (कोमुल) 2023 की भर्ती में एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है।

तलाशी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के अनुसार, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों चरणों में भर्ती प्रक्रिया में हेराफेरी करके, उम्मीदवारों से कोमूल भर्ती, 2023 में उनके चयन का आश्वासन देकर मौद्रिक लाभ प्राप्त करके, अपराध की आय के रूप में 1,56,50,000 रुपये अर्जित किए गए।के . वाई. नंजेगौड़ा इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार के रूप में उभरे, जिन्होंने कोमूल के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का लाभ उठाकर समग्र भर्ती को नियंत्रित किया। बयानों और साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि उन्होंने "आरक्षित" सीटों की संख्या तय करने, रिश्वत कैसे एकत्र की जाए, इसकी योजना बनाने और लिखित परीक्षा की ओएमआर शीट और साक्षात्कार के अंकों में हेराफेरी करने का निर्देश देने में अग्रणी भूमिका निभाई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुशंसित या भुगतान करने वाले उम्मीदवारों का चयन हो। इस प्रकार उन्होंने अवैध रूप से 80 लाख रुपये (कुल 1.56 करोड़ रुपये की आय में से) की कमाई की।

आगे की जाँच जारी है।